# राजस्व लोक अदालत केम्प आकडली तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

2018/01139

मुकदमा न0 38 /2018

| अपीलांण्टगण | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| 1. दौलाराम 2. बाबुराम 3. रूपाराम 4. मोहनलाल 5. छगनाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी | | 1. कानूदेवी पत्नि गंगाराम 2. जमना 3 पेमी पुत्रीया गंगाराम जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी |

**75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व**

## आदेश

दिनांकः—31.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आकडली में प्रस्तुत की गई। सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुथारो की ढाणी मे खत खसरा न0 22 39, 40, 42, 82, 312, 350/37, 352/37 कुल रकबा 493.09 वीघा मे अपीलाण्ट सख्या 1 से 5 के दादा खेमाराम खातेदार थे । खेमाराम के पुत्र गंगाराम जिनकी मृत्यु खातेदार खेमाराम से पूर्व में हो चुकी थी मृतक गंगाराम वादीगणों के पिता थे, अपीलाण्ट के दादा का देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 241 दायर किया गया जिसमें गंगाराम के वारिसानों में केवल उनकी पत्नि कानुदेवी जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया उक्त नामान्तरकरण में विरासत व हक तर्क का एक साथ नामान्तरकरण दायर किया गया था। उक्त नामान्तरकरण में मृतक गंगाराम के वारिसानों में [illegible] उनकी पत्नि का नाम दर्ज किया गया एवं उनके पांच पुत्र वादी संख्या 1 से 5 व दो पुत्रीयां प्रतिवादी [illegible] संख्या 2 व 3 का नाम छोड दिया गया जो सही नहीं है। अतः अपीलाण्ट के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 241 को निरस्त करने का निवेदन किया । इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने [illegible] बताया की मृतक गंगाराम के पांच पुत्र दो पुत्रीयां व एक पत्नि है।

अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाता है एव नामान्तरकरण संख्या 241 निरस्त किया जाता है मृतका गंगाराम की पुत्रियों द्वारा चूंकि पूर्व मे अपना हिस्सा हकतर्क कर दिया गया है। अतः मृतक गंगाराम के स्थान पर उसके पांच पुत्रों व उसकी पत्नि के नाम नामान्तरकरण के आदेश दिये जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
[illegible] कलेक्टर

Scanned by CamScanner